GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT, CO-ORDINATION BRANCH
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI – 110054

F.19(67)/Sectt./TPT/2025/63 Date: 27.03.2025

To,

Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: List of Questions for the meeting of the House on 28/03/2025, Unstarred question no.236 raised by Ms. Atishi.

Sir,

With reference to the letter dated 18/03/2025 received from Deputy Secretary (Question Cell), Delhi Legislative Assembly, Government of NCT of Delhi through vide letter dated 19/03/2025, received in this Office dated 20/03/2025 at 5:00 PM on the subject cited above. I am directed to forward the reply/information of Transport Department, Govt. of NCT of Delhi which is enclosed.

This issues with the prior approval of the Minister of Transport.

Encl: as above

Vashuendra

Special Commissioner (Cordn.)

F.19(67)/Sectt./TPT/2025/63 Date: 27.03.2025

Copy for information to:

1. PS to ACS-cum-Commissioner (Transport)
2. PS to Spl. Commissioner (Transport)

Vashuendra

Special Commissioner (Cordn.)

विभाग का नाम— परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

प्रश्न संख्या—236

सदस्य का नाम—सुश्री आतिशी

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	FAME योजना के अंतर्गत दिल्ली में कितनी बसों की खरीद की गई थी,	हालांकि, FAME योजना के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा 1221 (300 + 921) बसों को अनुबंधित किया गया है, पर यह खरीद नहीं है।
ख.	इन बसों की निविदा में क्या स्थानीयकरण का तत्व भी शामिल था, यदि हाँ, तो विवरण दें, से संबंधित नहीं है।	हाँ, इन बसों की निविदा में Ministry of Heavy Industry के द्वारा दिशा निदेर्शित PMP (Phase Manufacturing Program) के अनुरूप ही स्थानीयकरण किया गया ।
ग.	विगत पाँच वर्षों में FAMEयोजना के बाहर कितनी क्लस्टर व डीटीसी बसों की खरीद का आदेश दिया गया व इसके लिए RFP/निविदा दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया था,	क्लस्टर **FAME योजना के बाहर, परिवहन विभाग को NEBP चरण-I अनुबंध के अंतर्गत 1900 (12 मीटर) इलेक्ट्रिक और 1040 (9 मीटर) इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई थीं। संबंधित सफल ऑपरेटरों/बोलीदाताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RFP/निविदा दस्तावेज़ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) द्वारा तैयार किया गया था** दिल्ली परिवहन निगम— विगत पाँच वर्षों में FAME योजना के बाहर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खरीद के आदेशों का विवरण निम्न है :

वर्ष	बसों की संख्या व प्रकार	RFP / निविदा दस्तावेज का प्रारूप को तैयार करने वाली संस्था
2020	1000 एसी सीएनजी बसों की खरीद हेतू	मैसर्स डिम्ट्स, परन्तु परिवहन विभाग के पत्र संख्या 48791 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार आगामी आदेश तक निविदा को आस्थगन मे रखा गया है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>2022</td><td>579 बसें FAME योजना के बाहर)</td><td>सीईएसएल</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>1040 इलैक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु</td><td>सीईएसएल</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>घ.</td>
<td>क्या उक्त निविदाओं में अतिरिक्त स्थानीयकरण का तत्व भी था, यदि हाँ, तो उसका विवरण दें</td>
<td>उक्त निविदाओं में से 1500 बसों की निविदा में Ministry of Heavy Industry के द्वारा दिशा निर्देशित PMP (Phase Manufacturing Program) के अनुरूप ही स्थानीयकरण किया गया है तथा 1040 ईलेक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों की निविदा में स्वदेशीकरण और घटकवार विनिर्माण और उत्पति सूचना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।</td>
</tr>
<tr>
<td>ड)</td>
<td>बस निर्माताओं ने स्थानीयकरण की शर्त का पालन किया है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है</td>
<td>मूल उपकरण निर्माता (OEM)/बस निर्माताओं ने RFP और निविदा दस्तावेज़ के संदर्भ में स्वदेशीकरण की शर्त प्रस्तुत नहीं की है। एआरएआई, आईसीएटी जैसी एजेन्सी नोडल एजेन्सी या सीएमवीआर के नियम 12 के तहत अधिसूचित कोई अन्य परीक्षण एजेन्सी है, जो वाहन स्तर पर 50% से अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों के साथ-साथ स्वदेशीकरण के अनुपालन को प्रमाणित करती है।
दिल्ली परिवहन निगम–
हाँ, बस निर्माताओं नें स्थानीयकरण की शर्त का पालन किया है इसे प्रमाणित करने के लिए ARAI / ICAT / CIRT etc. एजेंसियों को अधिकृत किया गया है तथा बस निर्माताओं द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिनका विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><td>बसों की संख्या व प्रकार</td><td>अधिकृत एजेंसियों का नाम</td></tr>
<tr><td>300 ईलेक्ट्रिक 12 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु</td><td>मैसर्स टाटा की 100 बसों के लिए PMP Certificate - ARAI
मैसर्स जेबीएम की 200 बसों के लिए PMP Certificate - ICAT</td></tr>
<tr><td>1500 ईलेक्ट्रिक</td><td>मैसर्स टाटा की 1500</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>12 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु (जिसमे 921 बसे FAME योजना के अर्तगत व 579 बसों को FAME योजना के बाहर)</td><td>बसों के लिए– ARAI</td></tr><tr><td>1040 ईलेक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु</td><td>अभी प्रक्रिया में है</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>च</td><td>क्या दिल्ली में FAME योजना के बाहर खरीदी गई कोई ऐसी बसें अभी भी चल रही है, जिनमें वांछित स्थानीयकरण प्रमाणपत्र नहीं है, यदि हाँ, तो ऐसी बसों की संख्या, और</td><td>हां, परिवहन विभाग के अधीन दिल्ली में 300 (12 मीटर) क्लस्टर बसें हैं, जिन्होंने निविदा शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। हालांकि, इस प्रमाणन अनुपालन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है</td></tr>
<tr><td>छ</td><td>क्या कोई क्लस्टर बस ऑपरेटर ऐसी बसें चला रहे हैं जिनमें प्रमाणपत्र नहीं है, क्या इन ऑपरेटरों को भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ तो उन्हें किए गए भुगतान का विवरण दे?</td><td>क्लस्टर
जैसा कि बिंदु (च) में बताया गया है, 300 (12 मीटर) बसें चल रही हैं, अक्टूबर-2024 तक समझौते के अनुसार भुगतान जारी कर दिया गया है।
फरवरी 2024–अक्टूबर 2024 तक रू 548593702/– का भुगतान किया जा चुका है।</td></tr>
</table>

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (परिवहन विभाग) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

Vishwendra

विशेष आयुक्त (परिवहन विभाग)